सत्यमेव जयते

जन आधार

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : एफ17(8)23/डीईएस/रा.ज.आ.यो./प्र.प्र./2020/1686–1699 दिनांक : 22-07-2024

समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः– ग्राम सभाओं और वार्ड समितियों में जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिये गये लाभों का 01 जनवरी, 2024 से 30 जून, 2024 तक के प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करवाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि "राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020" तथा "राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021" के अनुसार– "लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के परिदान से संबंधित शासकीय अभिलेख को, लोक सूचना के लिए छः माह के अन्तराल पर संबंधित ग्राम सभा/वार्ड समिति को उपलब्ध करवाने के लिए जन–सूचना पोर्टल पर अपलोड किये जाते है तथा हकदारी, प्रसुविधा अंतरण इत्यादि के संबंध में आक्षेप, यदि कोई हों, आमंत्रित किए जाकर और लोक कल्याणकारी प्रसुविधा के परिदान से संबंधित अधिकारी द्वारा उचित तौर पर निपटाये जायेंगे।"

इस क्रम में दिनांक 01.01.2024 से 30.06.2024 तक की अवधि का जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से हस्तांतरित लाभों का प्रशासनिक प्रतिवेदन ग्राम पंचायतवार/वार्डवार जन–सूचना पोर्टल पर अपलोड करा दिये गये है। आगामी आयोजित होने वाली प्रत्येक ग्राम सभा और प्रत्येक नगर निकाय की वार्ड समिति में संबंधित प्रतिवेदन को सामाजिक अंकेक्षण हेतु रखा जाना है। सामाजिक अंकेक्षण जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी के दिशा–निर्देशन में सुनिश्चित किया जायेगा।

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के परिपत्र–7 के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कार्य की विस्तृत प्रक्रिया बताई गयी है, जिसके मुख्य बिन्दु परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

अतः इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान कर संलग्न दस्तावेजों के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण सम्पन्न करवाने का श्रम करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(नवीन जैन)
शासन सचिव
एवं पदेन महानिदेशक

RajKaj Ref
9043816

सत्यमेव जयते

जन आधार

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
6. तकनीकी निदेशक (जन आधार), सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक (ई–मित्र), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिले।
9. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निकाय, समस्त।
10. एस.ए/एसीपी (उपनिदेशक), सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिले।
11. संयुक्त/उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिले।
12. समस्त उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी/ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/ब्लॉक प्रोग्रामर।
13. आंतरिक–लेखा शाखा।

RajKaj Ref
9043816

Document certified by NAVEEN JAIN <n_j2@rediffmail.com>.

Digitally Signed by NAVEEN JAIN
Designation : Secretary To Government
Date :19-07-2021 10:54:24

जन आधार

सत्यमेव जयते

जन आधार

परिशिष्ट–1

दिनांक 01.01.2024 से 30.06.2024 तक जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से हस्तांतरित लाभों के प्रशासनिक प्रतिवेदन के सामाजिक अंकेक्षण हेतु दिशा निर्देश

- सामाजिक अंकेक्षण हेतु ये प्रतिवेदन जन सूचना पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके हैं। जन सूचना पोर्टल पर अपलोड प्रतिवेदन का अवलोकन व डाउनलोड करने की प्रक्रिया का मैनुअल **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है।

- इन प्रतिवेदनों को आगामी आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं व शहरी निकायों की वार्ड समितियों में अवलोकन करने व सामाजिक अंकेक्षण हेतु रखे जाने का एजेण्डा जुड़वाया जाना है तथा इस हेतु जिला कलक्टर के माध्यम से आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/नगर निकाय उपखंड अधिकारी/विकास अधिकारी/ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/प्रोग्रामर/अन्य को पाबंद किये जाने हेतु निर्देशित किया जाना है।

- जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदायित लाभों का विवरण जन–सूचना पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा, जिसकी सूचना राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के **परिपत्र–7** में दिये गये प्रपत्रों में अंकित की जानी हैं।

- आयोजित होने वाली ग्राम सभा/वार्ड समिति में जन सूचना पोर्टल पर अपलोड प्रतिवेदन को इलेक्ट्रोनिक माध्यम यथा ई–मित्र प्लस मशीन पर दिखाकर/डाउनलोड करके इसको मुद्रित पुस्तिका के रूप में रखा जाकर सामाजिक अंकेक्षण करवाया जायेगा।

- मुद्रण की स्थिति में प्रशासनिक प्रतिवेदन मुद्रण व बाईडिंग की दर राजस्थान जन आधार योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित जिला स्तर पर क्रय समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी। मुद्रण पर होने वाले व्यय संयुक्त/उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय को उपलब्ध बजट द्वारा वहन किया जाएगा।

- सामाजिक अंकेक्षण के दौरान ग्राम सभाओं/वार्ड समितियों में हकदारी, प्रसुविधा अंतरण इत्यादि के संबंध में आक्षेप, यदि कोई हों, तो संलग्न **परिपत्र–7 के प्रारूप 'ब'** में संबंधित ग्राम पंचायत/वार्ड समिति द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे।

- प्राप्त आक्षेपों का निस्तारण ग्रामीण क्षेत्रों हेतु ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी और शहरी क्षेत्रों हेतु संयुक्त/उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी के माध्यम से करवाया जायेगा।

RajKaj Ref
9043829

- प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात संबंधित ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के सरपंच तथा ग्राम विकास अधिकारी एवं वार्ड समिति में वार्ड पार्षद एवं नगर निकाय के प्रभारी अधिकारी, जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिये गये लाभों के प्रशासनिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने संबंधी **प्रमाण पत्र प्रारूप–स** (प्रशासनिक प्रतिवेदन के प्रारंभ में उपलब्ध) पर संयुक्त रुप से हस्ताक्षर कर मूल प्रति ग्राम पंचायत/नगर निकाय मुख्यालय पर सुरक्षित रखेंगे तथा फोटो प्रति संबंधित संयुक्त/उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी/ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- संयुक्त/उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी द्वारा सम्पूर्ण जिले की समस्त ग्राम सभा/वार्ड समितियों में प्रशासनिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने संबंधी इकजाई प्रमाण–पत्र **परिशिष्ट–3** में राजस्थान जन आधार प्राधिकरण को उपलब्ध करायेंगे।
- ग्राम सभा/वार्ड समिति में सभी निवासियों को राजस्थान जन आधार योजना से जुड़ने के लाभों से अवगत कराया जाएगा।
- यह प्रतिवेदन ग्राम पंचायत/वार्ड समिति में आगामी पाँच वर्षों तक मुद्रण करवाकर सुरक्षित रखा जाएगा।
- आम निवासी उसको प्रदान किए गए लाभों की रिपोर्ट जन सूचना पोर्टल पर देख सकता है तथा साथ ही डाउनलोड भी कर सकता है।
- ग्राम सभा/वार्ड समिति की आयोजित होने की तिथि को ग्राम पंचायत/वार्ड समिति पर सक्रिय ई–मित्रों की सहायता से ग्राम सभा/नगर निकाय स्थल पर जन आधार नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध करवायी जावे।
- ग्राम सभाओं में आमजन को, ई–मित्र प्लस के उपयोग की जानकारी भी प्रदान की जावे।
- प्रत्येक जिले के संयुक्त/उप निदेशक द्वारा ग्राम सभा/वार्ड समिति के आयोजन की सूचना **परिशिष्ट–3** में तथा प्रत्येक ग्राम सभा/वार्ड समिति के आयोजन की एक–एक फोटो (Zip File) janaadhaar.des@rajasthan.gov.in मेल आई.डी.पर अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावे।
- उपखण्ड अधिकारी द्वारा क्षेत्र में आयोजित सभी ग्राम सभाओं में तथा आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा सभी नगरीय वार्ड समितियों में प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण के आयोजन संबंधित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी।

RajKaj Ref
9043829

- ग्राम सभा में जन आधार के प्रशासनिक प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किए जाने की स्थिति जानने हेतु संबधित ब्लॉक के **ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा कम से कम 20 प्रतिशत ग्राम पंचायतों का निरीक्षण** किया जाना है। यदि किसी पंचायत समिति में **ग्राम पंचायतों की संख्या 20 या इससे कम है तो ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा 4 ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया जाना है, इसी प्रकार 35 से कम ग्राम पंचायतों वाली पंचायत समिति में 6 तथा 35 से अधिक ग्राम पंचायतों वाली पंचायत समिति में 8 ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया जाना है।**

- नगरीय वार्ड समितियों में जन आधार के प्रशासनिक प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किए जाने की स्थिति जानने हेतु **जिला मुख्यालय के नगर निकाय में नगरीय वार्ड समितियों में संबंधित जिले के संयुक्त/उप निदेशक द्वारा कम से कम 10 प्रतिशत वार्ड समितियों का निरीक्षण किया जाना है।** इसी प्रकार ब्लॉक मुख्यालय के नगर निकाय में नगरीय वार्ड समितियों में संबंधित **ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा कम से कम 10 प्रतिशत वार्ड समितियों का निरीक्षण किया जाना है।**

- ग्राम सभा/वार्ड समिति में जन आधार के प्रशासनिक प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किए जाने की स्थिति जानने हेतु संयुक्त/उप निदेशक/ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा किए गये निरीक्षण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में जिला स्तर पर ब्लॉकवार इकजाई कर
  राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की मेल आई.डी. पर भिजवाई जानी है।

क्र.सं.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पद	निरीक्षण की गई ग्राम पंचायत/वार्ड समिति का नाम	ग्राम सभा/वार्ड सभा में उपस्थित प्रतिभागियों की संख्या	निरीक्षणकर्ता द्वारा दिये गए सुझाव
1				
2				

RajKaj Ref
9043829

जन सूचना पोर्टल पर प्रशासनिक प्रतिवेदन को देखने/डाउनलोड करने की प्रक्रिया

https://jansoochna.rajasthan.gov.in/

योजनाओ के लाभार्थी

Click here for Schemes

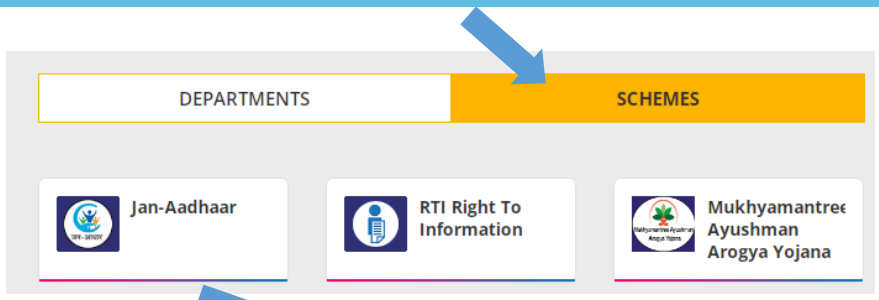

अपने क्षेत्र के जन-आधार लाभार्थियो की सचना देखें
Know about Jan-Aadhaar beneficiaries in your area

जन-आधार लाभार्थियो की जानकारी
Benefits Distributed to Jan-Aadhaar Families

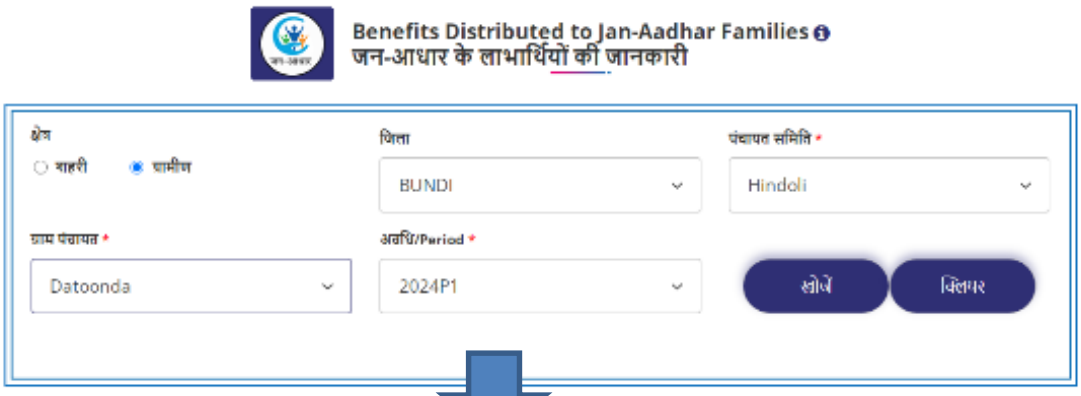

Click here to download file

इस प्रकार क्लिक करने पर वांछित प्रतिवेदन की फ़ाइल डाउनलोड होगी और इस फ़ाइल का अवलोकन/मुद्रण किया जा सकेगा |

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः एफ17(8)23/डीईएस/रा.ज.आ.यो/प्र.प्र./2020/1900 दिनांकः24.12.2021

परिपत्र–7

''राजस्थान जन आधार योजना'' राज्य की एक फ्लेगशिप योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य की विभिन्न लोककल्याणकारी योजनाओं के नकद व गैर–नकद लाभ पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी तरीके से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से हस्तांतरित किये जाते है। लाभार्थियों को प्रदायित समस्त लाभों व सेवाओं के लेखों की पारदर्शिता को बनाये रखने के लिए इनके लेखों–जोखों का सामाजिक अंकेक्षण आवश्यक है। इन लेखों के सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में "राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020" तथा ''राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021'' में प्रावधान किये गये है, जिनके अनुसार लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के परिदान से संबंधित शासकीय अभिलेख को, लोक सूचना के लिए छः माह के अन्तराल पर संबंधित ग्राम सभा/वार्ड समिति को उपलब्ध करवाने के लिए जन–सूचना पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा और हकदारी, प्रसुविधा अंतरण इत्यादि के संबंध में आक्षेप, यदि कोई हों, आमंत्रित किये जायेंगे और लोक कल्याणकारी प्रसुविधा के परिदान से संबंधित अधिकारी द्वारा उचित तौर पर निपटाये जायेंगे।

उक्त अधिनियम व नियम की पालना में लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के परिदान से संबंधित शासकीय अभिलेखों (प्रशासनिक प्रतिवेदन) को सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रत्येक छः माह अर्थात 1 जनवरी से 30 जून तथा 1 जुलाई से 31 दिसम्बर तक की अवधि के अंतराल पर जन–सूचना पोर्टल पर अपलोड किये जाने के साथ–साथ इनको इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अथवा मुद्रित पुस्तिका के रूप में संबंधित ग्राम सभा/वार्ड समिति में आमजन के अवलोकन हेतु रखा जाना है।

प्रत्येक छमाही में जन आधार योजना प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदायित लाभों का सामाजिक अंकेक्षण जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी के दिशा–निर्देशन में सुनिश्चित किया जायेगा।

सामाजिक अंकेक्षण हेतु जन आधार योजना प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदायित लाभों का विवरण जन–सूचना पोर्टल पर प्रारूप 'अ' में अपलोड किया जायेगा तथा आयोजित होने वाली ग्राम सभा/वार्ड समिति में अपलोड प्रतिवेदन को इलेक्ट्रोनिक माध्यम यथा ई–मित्र प्लस मशीन पर दिखाकर अथवा डाउनलोड करके इसको मुद्रित पुस्तिका के रूप में रखा जाकर सामाजिक अंकेक्षण करवाया जायेगा और हकदारी, प्रसुविधा अंतरण इत्यादि के संबंध में आक्षेप, यदि कोई हों, तो प्रारूप 'ब' में आमंत्रित किये जायेंगे। प्राप्त आक्षेपों का निस्तारण ग्रामीण क्षेत्रों हेतु ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी और शहरी क्षेत्रों हेतु उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी द्वारा करवाया जायेगा। सामाजिक अंकेक्षण की विस्तृत प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाई जायेगी–

1. राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा प्रत्येक छमाही के उपरांत निर्धारित अवधि के प्रशासनिक प्रतिवेदनों (प्रारूप 'अ' में) की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की एक–एक ड्राफ्ट कॉपी 04 जनवरी/04 जुलाई तक निदेशक, जन आधार को अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।
2. निदेशक, जन आधार द्वारा ड्राफ्ट अभिलेख के प्रारूप का अनुमोदन कर 11 जनवरी/11 जुलाई तक राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर को अवगत कराया जायेगा।

3. राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा ये प्रशासनिक प्रतिवेदन 15 जनवरी/15 जुलाई तक जन सूचना पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
4. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी द्वारा इन प्रतिवेदनों को आगामी आयोजित होने वाली ग्राम सभा/वार्ड समिति में अवलोकन व सामाजिक अंकेक्षण हेतु रखे जाने का एजेण्डा जुड़वाया जायेगा तथा इस हेतु जिला कलक्टर के माध्यम से शहरी/ग्रामीण क्षेत्रवार उपखंड अधिकारी/ विकास अधिकारी/ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/प्रोग्रामर/अन्य को पाबंद किये जाने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
5. ग्राम सभा/वार्ड समिति की बैठक में सभी निवासियों को राजस्थान जन आधार योजना के लाभों से अवगत कराया जाएगा एवं योजना की जानकारी दी जाएगी।
6. प्रशासनिक प्रतिवेदन में अंकित सभी लाभार्थियों के लेखों को ग्राम सभा/वार्ड समिति की बैठक में पढ़कर सुनाया जायेगा एवं यदि किसी प्रकार की आपत्तियां हो तो उनका संलग्न प्रपत्र (प्रारूप 'ब') में इन्द्राज कर यथासम्भव मौके पर ही आवश्यक निराकरण किया जायेगा। यदि किसी आपत्ति का मौके पर निराकरण संभव न हो, तो ऐसी आपत्तियों को संबंधित ग्राम पंचायत/वार्ड समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को और शहरी क्षेत्रों हेतु उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी को यथोचित आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भिजवाया जायेगा।
8. (अ) ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा में प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा ग्राम विकास अधिकारी, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा जन आधार योजना प्लेटफार्म के माध्यम से दिये गये लाभों के प्रशासनिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने संबंधी प्रमाण–पत्र (प्रशासनिक प्रतिवेदन के प्रारंभ में उपलब्ध) पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर मूल प्रति ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सुरक्षित रखेंगे तथा फोटो प्रति एवं ग्राम सभा के आयोजन की फोटो ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
8. (ब) शहरी क्षेत्र में वार्ड समिति में प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात संबंधित वार्ड पार्षद तथा नगर निकाय के प्रभारी अधिकारी, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा जन आधार योजना प्लेटफार्म के माध्यम से दिये गये लाभों के प्रशासनिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने संबंधी प्रमाण–पत्र (प्रशासनिक प्रतिवेदन के प्रारंभ में उपलब्ध) पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर मूल प्रति नगर निकाय मुख्यालय पर सुरक्षित रखेंगे तथा फोटो प्रति एवं वार्ड समिति के आयोजन की फोटो जिला/ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
9. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी द्वारा सम्पूर्ण जिले की समस्त ग्राम सभा/वार्ड समितियों में प्रशासनिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने संबंधी इकजाई प्रमाण–पत्र (प्रारूप 'स') के अनुसार जन आधार प्राधिकरण को उपलब्ध करायेंगे।
10. ग्राम सभा/वार्ड समिति की बैठक आयोजन की फोटो, ई–मित्र अथवा ब्लॉक/जिला सांख्यिकी कार्यालय के माध्यम से जन आधार पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
11. ये प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रत्येक ग्राम पंचायत व नगर निकाय में आगामी पाँच वर्षों तक सुरक्षित रखा जाएगा। आम निवासी उसको प्रदान किये लाभों की रिपोर्ट की प्रति एक साधारण कागज पर आवेदन कर प्राप्त कर सकता है।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव, एवं अध्यक्ष

क्रमांकः एफ17(8)23/डीईएस/रा.ज.आ.यो/प्र.प्र./2020/1901-15 दिनांकः24.12.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
3. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को प्रेषित कर यह भी निवेदन है कि आपके विभाग की ओर से दिनांक 02.12.2016 को जारी अधिसूचना में "राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020" के क्रम में आवश्यक संशोधन कराये जाने का श्रम करावें तथा उक्तानुसार प्रत्येक छमाह के अन्तराल उपरान्त आयोजित होने वाली प्रत्येक ग्राम सभाओं में सामाजिक अंकेक्षण हेतु जन आधार योजना प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिदान किये गये लाभों का प्रशासनिक प्रतिवेदन को रखे जाने को स्थाई एजेण्डा रूप में सम्मिलित कराने का श्रम करावे।
4. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को प्रेषित कर यह भी निवेदन है कि उक्तानुसार प्रत्येक छमाह के अन्तराल उपरान्त आयोजित होने वाली प्रत्येक वार्ड समितियों में सामाजिक अंकेक्षण हेतु जन आधार योजना प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिदान किये गये लाभों का प्रशासनिक प्रतिवेदन को रखे जाने को स्थाई एजेण्डा रूप में सम्मिलित कराने का श्रम करावे।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. निदेशक(तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लि., जयपुर।
10. अति. निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लि., जयपुर।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिले।
12. एस.ए./ए.सी.पी.(उप निदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, समस्त जिले।
13. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिले।
14. उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी, समस्त।
15. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/प्रौग्रामर, समस्त।

शासन सचिव, आयोजना
एवं पदेन महानिदेशक

राजस्थान सरकार

जन आधार योजना प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के हस्तांतरित किये गये लाभों का प्रशासनिक प्रतिवेदन

अवधि :

ग्राम पंचायत/
वार्ड संख्या :

पंचायत समिति/
नगर निकाय :

जिला :

योजनावार लाभ की स्थिति

ग्राम पंचायत का नाम/वार्ड संख्या : .....

अवधि : .....

क.सं.	योजना का नाम	कुल लाभान्वित परिवार	सदस्य इकाई	कुल लाभ का विवरण
1	राशन – चीनी (किग्रा)			
2	राशन – केरोसिन (ली)			
3	राशन – गेहूं (किग्रा)			
4	बी.पी.एल. फेमिली (रू.)			
5	पेंशन (रू.)			
6	नरेगा (रू.)			
7	शुभ लक्ष्मी योजना (रू.)			
8	जननी सुरक्षा योजना (रू.)			
. . . .				

योजनावार लाभ वितरण की स्थिति

गांव का नाम : .....

अवधि : .....

क.सं.	योजना का नाम	कुल लाभान्वित परिवार	सदस्य इकाई	कुल लाभ का विवरण
1	राशन – केरोसिन (ली)			
2	राशन – गेहूं (किग्रा)			
3	पेंशन (रू.)			
. . .				

जन आधार योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 (........... से .... तक) में परिवार वार वितरित लाभों का विवरण

जिला :	....	पंचायत समिति /नगर निकाय :	....
ग्राम पंचायत/वार्ड संख्या :	....	गांव :	....

परिवार क्रम संख्या:	....	नाम:	....		पिता का नाम:	....	फोटो
पति /पत्नी का नाम	....	सदस्य:	....	मोबाइल:	*******...	माता का नाम:	....	

योजना		सदस्य इकाई	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	कुल
...		...							
नकद लाभ का योग(रू.)									

प्रारूप 'ब'

कार्यालय ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति..... जिला.....

राजस्थान जन आधार योजना

निवासियों द्वारा आक्षेपों की सूची

राजस्थान जन आधार योजना प्लेटफार्म के माध्यम से निवासियों को अंतरित फायदों पर प्रशासनिक रिपोर्ट दिनांक.....को आयोजित ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत की गयी। निवासियों द्वारा आक्षेप और उनके समाधानों के ब्यौरें नीचे सूचीबद्ध किये गये हैं :–

क्र. सं.	ग्राम का नाम	जन आधार कार्ड / रसीद संख्यांक	आक्षेपकर्ता / निवासी का नाम	मोबाइल नंबर	आक्षेप का विवरण	आक्षेपकर्ता / निवासी का हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी	निस्तारण के लिए की गयी कार्यवाही	निस्तारण करने वाले अधिकारी का नाम और पद

ग्राम विकास अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर

प्रारूप 'ब'

कार्यालय नगर निकाय .....

वार्ड संख्या ....., जिला.....

राजस्थान जन आधार योजना

निवासियों द्वारा आक्षेपों की सूची

राजस्थान जन आधार योजना के माध्यम से निवासियों को अंतरित फायदों पर प्रशासनिक रिपोर्ट दिनांक..... .....को आयोजित वार्ड समिति की बैठक में प्रस्तुत की गयी। निवासियों द्वारा आक्षेप और उनके समाधानों के ब्यौरें नीचे सूचीबद्ध किये गये हैं :–

क्र. सं.	वार्ड संख्या	जन आधार कार्ड / रसीद संख्यांक	आक्षेपकर्ता / निवासी का नाम	मोबाइल नंबर	आक्षेप का विवरण	आक्षेपकर्ता / निवासी का हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी	निस्तारण के लिए की गयी कार्यवाही	निस्तारण करने वाले अधिकारी का नाम और पद

नगर निकाय के प्रभारी अधिकारी

का नाम व हस्ताक्षर

प्रारूप 'स'

कार्यालय ग्राम पंचायत.....
पंचायत समिति.....जिला.....

राजस्थान जन आधार योजना के माध्यम से दिये गये फायदों की प्रशासनिक रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के संबंध में प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न लोक कल्याणकारी स्कीमों के राजस्थान जन आधार योजना के माध्यम से अंतरित फायदों पर पृष्ठ 1 से .....तक अन्तर्विष्ट प्रशासनिक रिपोर्ट दिनांक .....को ग्राम पंचायत .....की आयोजित ग्राम सभा में समस्त व्यक्तियों की उपस्थिति में पढ़ी गयी थी और राजस्थान जन आधार योजना के माध्यम से दिये जाने वाले फायदों के बारे में उनको सूचित कर दिया गया था और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी थी।

.....परिवारों की जानकारी में से प्रविष्टियों के संबंध में .....आक्षेप और जानकारी में अन्तर्विष्ट नहीं किये गये.....निवासियों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। इनमें से .....निस्तारित कर दिये गये है और ..... ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को समाधान हेतु भिजवा दिये गये है।

सरपंच का नाम और हस्ताक्षर

ग्राम विकास अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

प्रारूप 'स'

कार्यालय वार्ड निकाय.....
नगर निकाय.....जिला.....

राजस्थान जन आधार योजना के माध्यम से दिये गये फायदों की प्रशासनिक रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के संबंध में प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न लोक कल्याणकारी स्कीमों के राजस्थान जन आधार योजना के माध्यम से अंतरित फायदों पर पृष्ठ 1 से .....तक अन्तर्विष्ट प्रशासनिक रिपोर्ट दिनांक .....को वार्ड निकाय .....की आयोजित वार्ड सभा में समस्त व्यक्तियों की उपस्थिति में पढ़ी गयी थी और राजस्थान जन आधार योजना के माध्यम से दिये जाने वाले फायदों के बारे में उनको सूचित कर दिया गया था और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी थी।

.....परिवारों की जानकारी में से प्रविष्टियों के संबंध में .....आक्षेप और जानकारी में अन्तर्विष्ट नहीं किये गये.....निवासियों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। इनमें से .....निस्तारित कर दिये गये है और ..... सहायक/उप निदेशक/ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को समाधान हेतु भिजवा दिये गये है।

वार्ड पार्षद का नाम और हस्ताक्षर

नगर निकाय के प्रभारी अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से 01.01.2024 से 30.06.2024 तक की अवधि के हस्तांतरित लाभों के प्रशासनिक प्रतिवेदन के सामाजिक अंकेक्षण संबंधी विवरण
(ग्रामीण क्षेत्रों हेतु)

जिलाः **दिनांक : ..... तक**

क्र.स.	ब्लॉक का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	**प्रस्तुत प्रतिवेदनों से संबंधित ग्राम पंचायतों की संख्या**							**प्रस्तुत प्रतिवेदनों के संबंध में आक्षेपों की स्थिति**				**अप्रस्तुत प्रतिवेदनों से संबंधित ग्राम पंचायतों की संख्या**				वि.वि.
			जिनमें उक्त अवधि के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा चुके है।	जिनकी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने संबंधी प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त की जा चुकी है।	जहाँ प्रतिवेदन मुद्रित पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत किये गये।	जहाँ प्रतिवेदन ई–मित्र प्लस मशीन पर दिखाकर प्रस्तुत किये गये।	जहाँ प्रतिवेदन अन्य इलेक्ट्रानिक्स माध्यम पर दिखाकर प्रस्तुत किये गये।	जिनमें प्रतिवेदन को ई–मित्र प्लस मशीन पर नहीं दिखाने के कारणों को लिखित में संबंधित ACP/ Programmer से प्राप्त कर लिया है।	जिनके प्रस्तुत प्रतिवेदन से संबंधी प्राप्त आक्षेपों का विवरण निर्धारित प्रारूप में प्राप्त हो चुके है।	कुल प्राप्त आक्षेपों की संख्या	सभा में ही निस्तारित आक्षेपों की संख्या	बाद में निस्तारित आक्षेपों की संख्या	निस्तारण से शेष रही आक्षेपों की संख्या	जिनमें उक्त अवधि के प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।	जिनमें सभा के आयोजन की तिथि अभी तक निर्धारित नहीं होने से प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हुये है।	जहाँ कोरम के अभाव में सभा नहीं होने से प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जा सके।	जहाँ अन्य कारणों से प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जा सके। (इन कारणों को अलग कागज पर अंकित कर संलग्न करें)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
कुल																		

जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से 01.01.2024 से 30.06.2024 तक की अवधि के हस्तांतरित लाभों के प्रशासनिक प्रतिवेदन के सामाजिक अंकेक्षण संबंधी विवरण (नगरीय क्षेत्रों हेतु)

जिलाः **दिनांक : ..... तक**

क्र.स.	नगर निकाय का नाम	कुल वार्डों की संख्या	प्रस्तुत प्रतिवेदनों से संबंधित वार्डों की संख्या					प्रस्तुत प्रतिवेदनों के संबंध में आक्षेपों की स्थिति				अप्रस्तुत प्रतिवेदनों से संबंधित वार्डों की संख्या				वि.वि.
			जिनमें उक्त अवधि के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा चुके है।	जिनकी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने संबंधी प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त की जा चुकी है।	जहाँ प्रतिवेदन मुद्रित पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत किये गये।	जहाँ प्रतिवेदन इलेक्ट्रानिक्स माध्यम पर दिखाकर प्रस्तुत किये गये।	जिनके प्रस्तुत प्रतिवेदन से संबंधी प्राप्त आक्षेपों का विवरण निर्धारित प्रारूप में प्राप्त हो चुके है।	कुल प्राप्त आक्षेपों की संख्या	सभा में ही निस्तारित आक्षेपों की संख्या	बाद में निस्तारित आक्षेपों की संख्या	निस्तारण से शेष रही आक्षेपों की संख्या	जिनमें उक्त अवधि के प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।	जिनमें सभा के आयोजन की तिथि अभी तक निर्धारित नहीं होने से प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हुये है।	जहाँ कोरम के अभाव में सभा नहीं होने से प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जा सके।	जहाँ अन्य कारणों से प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जा सके। (इन कारणों को अलग कागज पर अंकित कर संलग्न करें)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
कुल																